निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 22/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रतन लाल पुत्र प्रभू निवासी ग्राम कनकपुरा पोस्ट मीनावाला वाया सिरसी रोड, जयपुर जरिये मुख्त्यारआम श्री आशीष शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा निवासी मकान नम्बर ई-205 शिव पार्क, अम्बाबाडी, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मनीष कुमार आर ए एस पीठासीन अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर उत्तर ।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जवाहर लाल नेहरू मार्ग, इन्दिरा सर्किल, जयपुर जरिये आयुक्त
3. उपायुक्त जोन-7, जयपुर विकास प्राधिकरण, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, इन्दिरा सर्किल, जयपुर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बावत उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर उत्तर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 270/2020 व 138/2020 व उनवानी रतन लाल बनाम जेडीए को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बावत।

उपस्थितः-

1. श्री दिनेश कुमार अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हीरालाल सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ।

जिला कलक्टर जयपुर जयपुर जिला

निर्णय दिनांक 16.02.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर उत्तर के समक्ष प्रकरण संख्या 270/2020 व 138/2020 व उनवानी रतन लाल बनाम जेडीए विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र संक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर उत्तर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल सैनी उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होना मानते हुये उक्त भूमि के

जिला कलक्टर
जयपुर

संबंध में दिनांक 15.05.2019 को स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पावन्द किया गया तथा उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 06.08.2019 को अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष वकालतनामा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात उक्त प्रकरण में तारीख पेशियां नियत होती रही तथा उक्त प्रकरण में विवादित भूमि का मौके पर विधिवत रूप से चिन्हीकरण होकर सीमाज्ञान होना शेष है, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रशासनिक अधिकारी होने का दुरूपयोग करते हुये उक्त प्रकरण के पीठासीन अधिकारी से आपसी कोल्युजन कर प्रार्थी के पक्ष में जारी स्थगन आदेश को हटवा कर उक्त भूमि खुर्द बुर्द किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा स्वयं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के द्वारा भी वादी को न्यायालय के समक्ष ऐलानिया रूप सें उक्त प्रकरण में जारी स्थगन आदेश हटवा कर उक्त भूमि को मौके पर खुर्द बुर्द किये जाने बावत धमकियां भी दी जा रही है। उक्त प्रकरण में जो तारीख पेशिया नियत की जा रही है, वो तारीख पेशियां नियत किये जाने मे भी वादी को अपना पक्ष रखे जाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाकर प्रतिवादीगण की इच्छा व निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में तारीख पेशियां नियत की जा रही है तथा स्वयं पीठासीन अधिकारी के द्वारा न्यायालय के समक्ष ही पक्षपात करते हुये प्रतिवादीगण का पक्ष ही एक पक्षीय रूप से रखा जाकर सुनवाई की जारही है तथा उक्त प्रकरण में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष विचारण नही कर प्रतिवादीगण को अनाधिकृत रूप से लाभान्वित करने की बदनियति से उक्त प्रकरण मे कार्यवाही की जा रही है, जिससे उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के द्वारा न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण को विड्रो किये जाने हेतु वादी के उपर अनाधिकृत दवाव बनाये जाने से वादी को उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से किसी भी प्रकार की न्याय प्राप्त होने की उम्मीद नही है। उक्त उनवानी प्रकरण को किसी भी अन्य न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु अन्तरित किया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने अपने पक्ष में स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है । अप्रार्थी संख्या 2 व 3 विवादित आराजीयात पर आमजन की सुविधा हेतु राजकीय हास्पीटल का निर्माण कराना चाहते हैं। जिसमें विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। यदि फिर भी अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है, तो प्रकरण में स्थगन पर उभय पक्ष को सुनकर एक निश्चित समयावधि में निस्तारण किये जाने के निर्देश के साथ स्थानान्तरित कर दिया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) जयपुर शहर उत्तर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नही हुई। प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी प्रकरण का अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। जयपुर मुख्यालय पर सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय का मुख्यालय भी स्थापित है जिसमें इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है। इससे किसी पक्षकार को असुविधा भी नही होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 270/2020 व 138/2020 ब उनवानी रतन लाल बनाम जे डी ए को सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में मुन्तकिल किया जाता है।

9. पक्षकारान न्यायालय सहायक कलवटर जयपुर द्वितीय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 02.03.2021 को उपस्थित हो। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर स्थगन प्रार्थना पत्र का यथा सम्भव एक माह मे निस्तारण करें।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) व सहायक कलवटर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक16.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

16/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर